



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2004/फाल्गुन 22, 1925

No. 130]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2004/PHALGUNA 22, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2004

सा. का. नि. 190(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह "क" भर्ती नियम, 1977 को, जहां तक कि उनका संबंध कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) तथा कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) अकृत्तिक चयन श्रेणी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सीमा सड़क विकास बोर्ड के साधारण रिजर्व इंजीनियर बल में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) तथा कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) अकृत्तिक चयन श्रेणी, के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क इंजीनियर सेवा, कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) और कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) अकृत्तिक चयन श्रेणी समूह "क" भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 5. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद
1	2	3	4	5
1. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) अकृत्मिक चयन श्रेणी	48* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा, समूह 'क'	12,000-375- 16,500 रुपए	अचयन
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फतयदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	
6	7	8	9	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
10	11	12		
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :	10000-15200 रुपए के वेतनमान में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।	



**टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे।

इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिलीकरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड                   | — अध्यक्ष |
| 2. उप-महानिदेशक (कार्मिक), सीमा सड़क महानिदेशालय | — सदस्य   |
| 3. निदेशक/उप-सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड         | — सदस्य   |

1	2	3	4	5
2. कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिक) अकृतमिक चयन श्रेणी	17* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा, समूह 'क'	12,000-375-16,500 रुपए	अचयन
6	7	8	9	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

10	11	12
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :
		10000-15200 रुपए के वेतनमान में कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिक) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
		<b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:—	इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिलीकरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड — अध्यक्ष	
2. उप-महानिदेशक (कार्मिक), सीमा सड़क महानिदेशालय — सदस्य	
3. निदेशक/उप-सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड — सदस्य	

[फ़. सं. बी. आर. डी. बी/01/54/98/जीई-1]

एस. के. यागनिक, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

(Border Roads Development Board)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th March, 2004

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in Roads Engineering Service Group 'A' Rules, 1977, in-so-far as they relate to the posts of and Executive Engineer (Electrical and Mechanical) Non-Functional Selection Grade, except



as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Executive Engineer (Civil) and Executive Engineer (Electrical and Mechanical), Non-Functional Selection Grade, in the General Reserve Engineer Force in the Border Roads Development Board in the Ministry of Road Transport and Highways, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Border Roads Engineering Service, Executive Engineer (Civil) and Executive Engineer (Electrical and Mechanical), Non-Functional Selection Grade (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts of specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Powers to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Executive Engineer (Civil) Non-Functional Selection Grade	48* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Border Roads Engineering Service Group 'A'.	Rs. 12,000-375-16,500.	Non Selection

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
10	11	12

Not applicable

Promotion

**Promotion :**

Executive Engineer (Civil) in the pay scale of Rs. 10000-15200 with five years' regular service in the grade.

**Note :—**Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13	14
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secretary, Border Roads Development Board — Chairman</li> <li>2. Deputy Director General (Personnel) Directorate General Border Roads. — Member</li> <li>3. Director/Deputy Secretary, Border Roads Development Board. — Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.</p>



1	2	3	4	5
2. Executive Engineer (Electrical and Mechanical) Non-Functional Selection Grade	17* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Border Roads Engineering Service Group 'A'.	Rs. 12,000-375-16,500.	Non Selection

6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12
----	----	----

Not applicable

Promotion

**Promotion :**

Executive Engineer (Electrical and Mechanical) in the pay scale of Rs. 10000-15200 with five years' regular service in the grade.

**Note :—**Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :	Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.
1. Secretary, Border Roads Development Board — Chairman	
2. Deputy Director General (Personnel) Directorate General Border Roads. — Member	
3. Director/Deputy Secretary, Border Roads Development Board. — Member	

[F. No. BRDB/01/54/98/GE-I]

S. K. YAGNIK, Director